संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/374 **भोपाल दिनांक 20.04.2020**

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

2. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी,

मध्यप्रदेश।

विषय :- COVID-19 के दौरान नियमित टीकाकरण सेवाएं जारी रखने के संबंध में।

संदर्भ :- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन का पत्र दिनाँक 14.4.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि COVID-19 के दौरान टीकाकरण कार्य- संस्थागत तथा आउटरीच सत्रों (निर्देशानुसार) का आयोजन यथावत जारी रखा जाए।

टीकाकरण सेवाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) निर्देश:-*

- संस्थागत बर्थ डोज़ सेवाएं पूर्ववत अनवरत संचालित होती रहे सुनिश्चित करें।
- समस्त स्वास्थ्य संस्थाओ में दैनिक टीकाकरण सत्र आयोजित- जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सी.एच.सी. तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं पर आयोजन हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- उपस्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त आउटरीच टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- आउटरीच सत्रों का निर्णय लोकल स्तर पर लें ताकि कार्यकर्ता एवं कम्युनिटी के स्वास्थ्य पर असर न हो।
- लॉकडाउन के पश्चात कैचअप सत्र आयोजन की तैयारियां की जाये।
- ड्रॉपआउट तथा लेफ्टआउट हितग्राहियों की सूची पूर्व से निर्मित रहे।
- सत्र आयोजन के समय टीकाकरण किया जाए।
- शीत श्रृंखला के नियमों का पालन पूर्ववत करें।

टीकाकरण पूर्व :-

- ए0वी0डी0 को वैक्सीन ले जाने के लिये जिला द्वारा पास जारी करें ताकि ए0वी0डी0 को वैक्सीन, टीकाकरण सत्र स्थल तक लेजाने में कठिनाई ना हो ।
- ए0वी0डी0 अनिवार्य रूप से मास्क तथा दस्तानों का उपयोग करें ।
- कोल्ड चेन हेन्डर द्वारा ए0वी0डी0 को वैक्सीन देने के पूर्व सैनिटाईजर का आवश्यक रूप से प्रयोग करें ।
- प्रत्येक कोल्ड चेन फोकल प्वाईन्ट को जिला द्वारा समुचित संख्या में सैनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक टीकाकरण सत्र के पूर्व सभी लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र स्थल तथा समय की सूचना दी जावे।
- यदि किसी लाभार्थी को तेज बुखार, सूखी खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ आदि की समस्या हो रही हो तो, चिकित्सा अधिकारी के सलाह के बाद ही वैक्सीन दी जावे।

टीकाकरण के दौरान :-

- एक समय पर एक लाभार्थी को ही टीकाकृत करें।
- प्रत्येक लाभार्थी के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें।
- वैक्सीनेटर द्वारा टीकाकरण सत्र शुरू करने के पूर्व अपने हाथों को साबुन से धोना अनिवार्य है।
- प्रत्येक लाभार्थी को टीकाकरण के बाद, वैक्सीनेटर द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है।
- वैक्सीनेटर द्वारा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
- सेफ इंजेक्शन प्रेक्टिसेस का वैक्सीनेटर द्वारा अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

टीकाकरण के पश्चात :-

Scanned with CamS

· टीकाकरण सत्र समाप्त होने के बाद सभी बायो मेडिकल वेस्ट यथा- सिरिंज, नीडल आदि को लाल और काले बैग का उपयोग करते हुए कोल्ड चेन फोकल पॉइंट में लाना सुनिश्चित करें।

· कोल्ड चेन फोकल पॉइंट पर नियमित टीकाकरण से संबंधित बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निस्तारण करें।

अन्य निर्देश :-

· टीकाकरण कार्य में संलग्न समस्त अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक रूप से अपना परिचय पत्र साथ में रखें ताकि आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

· लाभार्थी को सभी वैक्सीन समय पर दिया जाना आवश्यक है ताकि वैक्सीन प्रिवेन्टेबल बिमारियों से बचा जा सके।

· कोई भी स्टाफ यदि सर्दी-खांसी, बुखार या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें ड्यूटी से मुक्त रखें।

· यदि कोई भी गर्भवती महिला या बच्चा अस्वस्थ अवस्था में मिलता है तो इसकी सूचना तत्काल बी.एम.ओ. को दें, साथ ही उपचार हेतु हितग्राहियों को नजदीकी अस्पताल में रिफर करें।

· सभी परिवारजनों को कपड़े का फेस मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा हैंडवाश करने हेतु टीम प्रेरित करें।

(फ़ैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ
संचालनालय स्वास्थ सेवाएं
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं प.क. विभाग, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभगीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. राज्य टीकाकरण प्रकोष्ठ, संचालनालय स्वास्थ सेवाएं, मध्यप्रदेश।

20/4/2

आयुक्त स्वास्थ
संचालनालय स्वास्थ सेवाएं
मध्यप्रदेश

Scanned with CamS